

राजस्थान-सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0जयपुर।
क्रमांक:ई-26/राजप/पीजी-2014/2015/

दिनांक :

—: संशोधन आदेश :-

निदेशालय के पूर्व आदेशों में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है

- 1 आदेश क्रमांक 975 दिनांक 30.10.2012 में कम संख्या 64 पर डॉ. प्रियंका कटारा का दिनांक 01.03.2014 से 30.03.2014 तक का अध्ययन स्वीकृत किया गया है में दिनांक 23.04.2013 से 30.03.2014 तक का अध्ययन अवकाश निरस्त किया जाता है।
- 2 आदेश क्रमांक 144 दिनांक 28.01.2015 में चिकित्सक का नाम डॉ. कुसुमबाला जैन पढ़ा जावें।
- 3 आदेश क्रमांक 22 दिनांक 11.01.2013 में डॉ. धनराज कोली, चिकित्सा अधिकारी का अध्ययन अवकाश 02.03.2012 से 30.05.2014 पढ़ा जावें।
आदेश क्रमांक 328 दिनांक 17.05.2013 में डॉ. धर्मेस सोगरवाल, चिकित्सा अधिकारी का अध्ययन अवकाश 25.06.2012 से 24.06.2015 तक पढ़ा जावें।

अध्ययन अवकाश उन्हीं चिकित्सकों हेतु मान्य होगा, जिनका पी0जी0 में चयन सेवारत कोटे के तहत हुआ है, तथा पूर्व में सेवारत कोटे का लाभ प्राप्त नहीं किया हो। अन्य शर्तें उनके पूर्व आदेशों के अनुसार यथावत रहेंगी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज0जयपुर।

क्रमांक:ई-26/राजप/पीजी-2014/2015/493

दिनांक : 30/4/15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज।
2. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
3. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
- ✓ 4. सेन्ट्रल सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि आज ही विभाग की वेबसाइट पर डालने का श्रम करें।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज0जयपुर।